शाही ठाठ-बाट से निकली गणगौर माता की सवारी

सिटी पैलेस में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और पूर्व राजपरिवार की महिलाओं ने गणगौर माता का विधिवत पूजन किया

जयपुर। जयपुर की विश्व प्रसिद्ध गणगौर की शोभायात्रा को देखने के लिए शनिवार को जयपुरवासी उमड़ पड़े। चारदीवारी पूरी तरह गणगौर और ईसर के रंग में रंग गई। पहली बार 210 लोक कलाकारों के अलग-अलग समूह ने लोक कला की ऐसी रंगत बिखेरी कि दर्शक निहारते ही रहे। वहीं 32 पारंपरिक लवाजमों के भव्य संयोजन ने गणगौर माता की शाही सवारी में चार चांद लगा दिए।

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक

- बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी के साथ यह महोत्सव अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा
- सजीधजी झांकियों व पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित कलाकारों ने राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया

उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि लोक कला और परंपरा की जुगलबंदी ने शहरवासियों और पर्यटकों को आनंदित कर दिया। सिटी पैलेस में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी और पूर्व राजपरिवार की महिलाओं ने गणगौर माता का विधिवत पूजन किया। इसके बाद जनानी ड्योढ़ी से शाही सवारी में पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज, लोक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों और बैंड की स्वर लहरियों के साथ लाल वस्त्रधारी कहार माता को कंधों पर उठाकर त्रिपोलिया गेट से चौड़ा रास्ता पहुंचे।

शाही परंपरा के अनुसार गणगौर माता चलायमान सिंहासन पर विराजमान रही।

शाही परंपरा के अनुसार गणगौर माता चलायमान सिंहासन पर विराजमान रही। यहां गणगौर माता के दर्शन के लिए काफी देर से खड़े श्रद्धालुओं ने जयकारों से वातावरण को गूंजायमान कर दिया। सजी-धजी झांकियों और पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित कलाकारों ने राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक मार्ग के दोनों ओर एकत्र होकर माता के दर्शन करते नजर आए।

गणगौर माता का श्रृंगार आकर्षण का केन्द्र रहा। माता को लगभग 1.5 किलो के मुकुट, 150 ग्राम के मांग टीका, 900 ग्राम के चंपाकली हार सहित पारंपरिक शाही आभूषणों से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही बाजूबंद, हथफूल, कंठी और कमरबंध जैसे आभूषणों ने माता के स्वरूप को और अधिक दिव्य एवं भव्य बना दिया। रत्नों से जड़े इन आभूषणों ने राजसी परंपरा और कारीगरी की उत्कृष्ट झलक प्रस्तुत की।

यह शोभायात्रा सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से प्रारंभ होकर छोटी चौपड़ पहुंची तो उसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। लवाजमे का एक छोर जहां छोटी चौपड़ था तो दूसरा छोर त्रिपोलिया गेट था। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने कलश धारण कर मंगल गीतों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर गणगौर की सवारी का स्वागत किया गया। तालकटोरा में गणगौर को पानी पिलाया गया। रविवार को बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाएगी।

32 पारंपरिक लवाजमों सुसज्जित भव्य सवारी:- इस बार 32 पारंपरिक लवाजमों की भव्य मौजूदगी ने सवारी को और भी आकर्षक बना दिया। सुसज्जित हाथी, ऊंट दल, घोड़े, विक्टोरिया कैरिज और विभिन्न बैंडों की धुनों के बीच पहली बार शामिल शंकर बैंड ने खास आकर्षण पैदा किया।

सवारी के गणगौरी बाजार पहुंचते ही पूरा इलाका मानो लोक उत्सव के चरम पर नजर आया।

महोत्सव का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका लाइव प्रसारण भी रहा, जिसके माध्यम से देश-विदेश में बसे राजस्थानियों ने इस भव्य आयोजन को रियल टाइम में देखा।

रविवार को निकलेगी बूढ़ी गणगौर की सवारी:- अब रविवार को बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी के साथ यह महोत्सव अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा।

ईद-उल-फितर पर दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज अता करते अकीदतमंद।

दिव्यांग छात्रा को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 के दिव्यांग कोटे के मेरिट में आई छात्रा को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने को कहा है।

अदालत ने कहा कि यदि इस सत्र में सीट खाली नहीं है तो उसे साल 2026 के पाठ्यक्रम में सीट आवंटित की जाए। अदालत ने माना की छात्रा वर्तमान में एम्स, दिल्ली में प्रवेश के लिए पात्र है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश वैष्णवी अग्रवाल की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी की करंट लगने से दायें हाथ ही दो अंगुलियों में स्थाई दिव्यांगता आ गई थी। ऐसे में उसने दिव्यांग कोटे में नीट यूजी-2025 में आवेदन किया। उसने इस वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन प्रवेश के समय एसएमएस अस्पताल की मेडिकल कमेटी ने उसे यह कहते हुए अपात्र घोषित कर दिया कि वह दिव्यांगता के कारण मेडिकल संबंधी काम नहीं कर सकती है।

- अपीलार्थी की करंट लगने से दायें हाथ ही दो अंगुलियों में स्थाई दिव्यांगता आ गई ऐसे में उसने दिव्यांग कोटे में नीट यूजी-2025 में उसने इस वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन मेडिकल कमेटी ने उसे अपात्र घोषित कर दिया था

वहीं अदालती आदेश से दिल्ली के सरफदगंज अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अपीलार्थी का परीक्षण किया। इसके बाद बोर्ड की ओर से भेजी रिपोर्ट में अपीलार्थी को प्रवेश के पात्र माना गया। इस पर अदालत ने अपीलार्थी को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आदेश दिए हैं।

फसलों को हुए नुकसान पर लिया संज्ञान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर संज्ञान लेकर शुक्रवार देर रात सभी जिला कलक्टर्स को सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में सहायता के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ तत्पर है।मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है। राजस्थान की समृद्धि का आधार हमारे अन्नदाता भाई-बहन हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किसान भाइयों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलक्टर्स को सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश

सार्वजनिक सूचना (पुत्र और पुत्रवधु को परिवार/संपत्ति से बेदखल करने संबंधी)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अशोक पूरी पुत्र स्व. श्री केशर पूरी गोस्वामी, आयु 70 वर्ष और आशा पूरी पत्नी श्री अशोक पूरी, आयु 63 वर्ष, निवासी 16, पुरोहित जी का बाग, गोपी नाथ मार्ग, जयपुर- 01, हम अपने पूर्ण होशोहवास में यह घोषणा करते है कि हमारा पुत्र, रजत पुरी, आयु 37 वर्ष और पुत्रवधु कामिनी पूरी, आयु 33 वर्ष का, उनके आचरण/ व्यवहार के कारण हमारे परिवार एवं हमारे परिवार की समस्त चल एवं अचल संपत्तियों और सभी अन्य लाभों से पूर्णतः बेदखल कर दिया है। अतः हम उक्त पुत्र और पुत्रवधु को हम हमारी किसी भी चल- अचल संपत्ति पर कोई अधिकार, दावा या किसी तरह का संबंध नहीं रहेगा। उनके द्वारा अथवा उनके विरुद्ध किसी भी न्यायिक वाद मे हम और हमारा परिवार किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगे। साथ ही यदि कोई व्यक्ति उनके साथ किसी प्रकार का लेन-देन करता है अथवा कोई वाद करता है, तो वह अपने जोखिम एवं जिम्मेदारी पर करेगा, जिसके लिए हम और हमारा परिवार किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं रहेगा। सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि हम से अथवा हमारे परिवार के नाम से या हमारी संपत्ति के संबंध में उक्त पुत्र और पुत्रवधु द्वारा किया गया कोई भी कार्य/ दावा पूर्णतः अवैध एवं अमान्य होगा।

दि.: 21/03/2026 | जयपुर सूचनाकर्ता: (अशोक पूरी), (आशा पूरी)

प्रपत्र सं. 7 (देखिए नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

मुकदमा नं. DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1908

चूंकि पार्थी श्री NARENDRA SINGH RATHORE 80, EKTA PATH NEAR SHRI MAHARAJA SCHOOL, SHRI JI NAGAR DURGAPURA JAIPUR, RAJASTHAN 302018 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री महाराजा पबिलक स्कूल शिक्षा समिति, 74/75 EKTA PATH SHRI JI NAGAR DURGAPURA JAIPUR, RAJASTHAN 302018, के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 16-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 27/05/2026

मोहर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर (प्रथम)

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1965 चूंकि प्रार्थी श्री JAT BANNARAM, FLAT NO. B/301, CRYSTAL AVENUE, NEAR I.P. AWANI SCHOOL, PALANPUR ROAD, SURAT, BHESAN GUJARAT ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास बमपुरी परमेश्वर धाम नोपुरा ट्रस्ट BAMPURI AASHRAM, DEVANGARI, NOPURA, HASTEDA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26.05.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रेयी ने संभाली सवाई माधोपुर की कमान

जयपुर। राज्य सरकार के आदेशानुसार 2018 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने शनिवार को सवाई माधोपुर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पद का विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं ही सवाई माधोपुर पुलिस की प्राथमिकताएं रहेंगी।

उन्होंने कहा कि टाइगर अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध सवाई माधोपुर में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ पर्यटकों की सुरक्षा, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा तथा नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष फोकस रहेगा।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में जन्मी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने अपने जीवन में संस्कार, अनुशासन और मेहनत को आधार बनाया। एक ही प्रयास में आईपीएस बनने वाली ज्येष्ठा आज देशभर के प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। वे दिल्ली सहित देश के विभिन्न मंचों पर युवाओं को सिविल सेवा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देती रही हैं। उनके व्याख्यान केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होते, बल्कि जीवन मूल्यों, संघर्ष और आत्मविश्वास का संदेश भी देते हैं। जिले में भी युवाओं व विशेषकर महिलाओं व बच्चियों को मार्गदर्शन प्रदान करने की उनकी मंशा है।

सीआईडी सीबी से स्थानांतरित होकर आई ज्येष्ठा मैत्रेयी अपराध नियंत्रण, साइबर क्राइम पर अंकुश, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान है, जो उन्हें एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी के रूप में अलग पहचान दिलाता है।

पदभार ग्रहण के बाद ज्येष्ठा मैत्रेयी ने कहा कि आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी अपेक्षाओं को समझना और पुलिस तंत्र को मजबूती देना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने हर जगह पुलिस की मौजूदगी के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को संवेदनशील और जवाबदेह बनाकर त्वरित एवं भरोसेमंद सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से महिला घायल

जयपुर। आमेर थाना क्षेत्र के सागर रोड पर शनिवार को तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया और भागने का प्रयास कर रहे चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार कार तेज गति में थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे जा रही महिला को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि महिला के हाथ-पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला को पहले आमेर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है और मेडिकल जांच सहित मामले की जांच शुरू कर दी है।ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं।

एक करोड़ की फिरौती के लिए आईटी कंपनी के मालिकों का अपहरण

जयपुर। मुहाना थाना क्षेत्र में आईटी कंपनी के दो मालिकों के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने यूएसडीटी (क्रिप्टो) में निवेश के नाम पर बुलाकर दोनों को अपहरण कर लिया और परिजनों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते करीब ग्यारह घंटे बाद बदमाश दोनों को छोड़कर फरार हो गए।

थानाधिकारी गुर भूपेन्द्र सिंह के अनुसार जगतपुरा निवासी राहुल और दिनेश मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर के पास आईटी कंपनी संचालित करते हैं। 19 मार्च की शाम उन्हें कॉल कर यूएसडीटी में निवेश का झांसा दिया गया और मिलने के लिए बुलाया गया। शाम करीब 7 बजे पहुंचते ही 6-7 नकाबपोश बदमाशों ने दोनों को कार में बैठाकर अगवा कर लिया।

बदमाशों ने अपहृत युवकों के मोबाइल से परिजनों को कॉल कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और पैसे लेकर गोनेर बुलाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने कंट्रोल रूम के जरिए सक्रियता दिखाते हुए बदमाशों का पीछा शुरू किया। आरोपी गोनेर, हिंगोनिया गौशाला, इंदिरा गांधी नगर, खो नागोरियान, कानोता और बस्सी होते हुए नायला व जामडोली के जंगलों में घूमते रहे।

- एक करोड़ की फिरौती मांग कर ग्यारह घंटे बाद छोड़ा
- यूएसडीटी निवेश के झांसे में बुलाया
- पुलिस दबाव में गलता के जंगलों में छोड़ भागे बदमाश

लगातार पुलिस दबाव के चलते बदमाश शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे दोनों को गलता के जंगल में कार सहित छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से कार जब्त कर ली है और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।

9000 वर्ग मीटर जमीन का केस हारा जेडीए

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक रोड पर एयरपोर्ट प्लाजा स्कीम के पास स्थित 9000 वर्ग मीटर जमीन के मामले में जेडीए की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। वहीं खंडपीठ ने एकलपीठ के 6 अगस्त 2009 के आदेश में दखल से इनकार करते हुए उसे बरकरार रखा है।

अदालत ने जेडीए को निर्देश दिया है कि वह राज्य सरकार के 12 मई 2003 व 19 मई 2003 के आदेश को तत्काल लागू करते प्रार्थी साई दर्शन होटल्स एंड मोटल्स के पक्ष में 9000 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन आदेश जारी करे। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जेडीए की अपील पर दिए।

खंडपीठ ने कहा कि एकलपीठ ने प्रार्थी को 15 फीसदी विकसित जमीन प्राप्त करने का अधिकारी माना है जो सही है। खंडपीठ ने माना कि राज्य सरकार अपने ही निर्णयों से पीछे नहीं हट सकती, खासकर तब जब संबंधित पक्ष ने उन पर भरोसा कर अपने मुकदमे वापस ले लिए हो। प्रार्थी कंपनी ने अपनी तरफ से सभी मुकदमे वापस लेकर शर्तें पूरी कर दी थी। ऐसे में उन्हें 15 प्रतिशत विकसित भूमि देना न्यायसंगत होगा। जेडीए की ओर से दलील दी गई कि इस जमीन का आवंटन अवैध तरीके से हुआ है और उसे आर्थिक नुकसान होगा। वहीं जेडीए ने इस मामले में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया, लेकिन खंडपीठ ने जेडीए की दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस जमीन के मामले में राज्य सरकार की नीति के अनुरूप आदेश पारित किए गए थे और वे वैध हैं। ऐसे में जेडीए की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

- हाईकोर्ट ने आवंटन पत्र जारी करने के दिए निर्देश

खंडपीठ ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि कई सालों से इस जमीन का उपयोग जेडीए कर रहा है, जबकि मूल मालिकों या उनके उत्तराधिकारियों को उचित मुआवजा तक नहीं मिला। ऐसे में केवल कोर्ट में पैसा जमा कराना भुगतान नहीं माना जाएगा।

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/263 चूंकि प्रार्थी श्री AJAD SINGH, BUS STAND KE PASS, MATOR, KHAIRTHAL TIJARA ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास इन्जीनियर्स पॉइंट शिक्षा समिति खैरथल ALWAR ROAD KHAIRTHAL DISTRICT KHAIRTHAL-TIJARA के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 21.04.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

सूचना आम सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती अन्जू गुप्ता पत्नी रविन्द्र कुमार निवासी-184 चेलो का रास्ता, जलेब चौक, जयपुर द्वारा 595 व 596 गोधो का चौक, कावंटियो की पीपली जयपुर मे स्थित गैराज व कमरा श्रीमती सुनीता देवी पत्नि प्रकाश चन्द गोधा से खरीद करने जा रही है इस संदर्भ मे किसी भी शख्स को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजात हमारे कार्यालय मे सूचना के सात दिनो के अन्दर-अन्दर सूचित करे।

शशि शेखर गौड (एडवोकेट)
184, चेलो का रास्ता, जलेब चौक, जयपुर
मो. 9414349541, 9414071084

खोया पाया

शॉप नं. एस-64, सेक्टर-10 मानसरोवर जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांक 3059 दिनांक 29.02.2024 गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। रितू जैन मो. 9887379476

आवास संख्या 30/80/08 मानसरोवर जयपुर का परिपिच्युअल लीज डीड का नक्शा गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। हेमा मो. 9829030710

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

वन राज्य मंत्री ने वन्यजीवों के त्वरित बचाव के लिए रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई

एक पेड़ मां के नाम अभियान पर आधारित 'कॉफी टेबल' बुक का विमोचन किया।

जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम वन एवं अर्थव्यवस्था रखी गई।

कार्यक्रम के दौरान वन एवं वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गईं। घायल वन्यजीवों के त्वरित बचाव के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 5 रेस्क्यू वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही योजना के अंतर्गत खरीदी गई 460 मोटरसाइकिलों को भी फील्ड स्टाफ के लिए रवाना किया गया, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी कार्य सुगम होगा।

इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। वृक्षारोपण को बड़ावा देने के लिए वनमित्रों को पेट्रोलिंग किट वितरित की गई।

जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु परियोजना के अंतर्गत राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 600 गांवों के 1200 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

कार्यक्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल लॉन्च किए गए, जो वन्यजीव आवास निगरानी और कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में सहायक होंगे। साथ ही की नई वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया, जिससे पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने बताया कि 'हरियालो राजस्थान' योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 19 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया है।

यह आयोजन वन संरक्षण, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को नई दिशा देने वाला साबित होगा।

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति मासलपुर जिला करौली

क्रमांक: पंसमा./लेखा/निविदा/2025-26/1781-1786 दिनांक:- 16.03.2026

निविदा सूचना संख्या 1-7/2026-27

पंचायत समिति मासलपुर में विभिन्न योजनाओं/शाखाओं में विभिन्न कार्यों व्यवस्थाओं हेतु दर अनुंबंध करने/सामग्री क्रय करने/बोलेरो टैक्सी परमिट वाहन की अनुज्ञा देने के लिए अनुभवी फर्मों/प्रतिष्ठिता संस्थाओं/इच्छुक व्यक्तियोयं से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता निर्धारित राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट में जमा कराकर पंचायत समिति से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्त प्राप्त कर सकते है। निविदाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	आरआई एसएल शुल्क
1	कम्प्यूटर कार्य सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से जॉब आउट सोसिंग बेसिक पर कराना	3.50	7000	200	500
2	बेलेरो टैक्सी परमिट वाहन किराये पर वाहन उपलब्ध कराना	3.50	7000	200	500
3	स्टेशनरी सामग्री आवश्यकतानुसार (दर निर्धारण)	2.00	4000	200	500
4	फोटो स्टेट कार्य आवश्यकतानुसार (दर निर्धारिण	1.00	2000	200	500
5	प्रशिक्षणों एवं बैठकों में चाय नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था आवश्यकतानुसार	3.50	7000	200	500
6	मृतक पशु हड्डी संकलन ठेका वर्ष 2025-2026	आरक्षित राशि 72365 रू.	7237	200	
7	मिटिंग/शिविरों में टैन्ट, कुर्सी, माईक, जनरेअर, आरओ वाटर (कैम्पर) आदि व्यवस्था	2.00	4000	200	500

उक्त सभी निविदाओं को बेचने प्राप्त करने एवं खोलने आदि का कार्यक्रम निम्नानुसार होगा।

निविदा जारी होने की दिनांक 17.03.2026 को 11.00 एएम से 27.03.2026 को 11.00 ए.एम. तक बेची जाएगी।

निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय :- दिनांक 27.03.2026 प्रात: 12 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक व समय :- दिनांक 27.03.2026 दोपहर पश्चात् 2 बजे से

सामग्री की मात्रा एवं कार्य का विवरण निविदा प्रपत्रों में अंकित है। कार्य/सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। निविदा शर्तें एवं निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क नगद/डिमाण्ड विकास अधिकारी पंचाचयत समिति मासलपुर के पक्ष में देय हो जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाए उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर जमा कराई जा सकती है। निविदा का प्रकाशन sppp.raj.gov.in पर किया गया है। निर्धारित प्रारूप में दर प्रस्तुत न करने पर एवं अस्पष्ट होने पर एवं अपूर्ण निविदराओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदाएं बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

NIB- ZKR202526A0895
NIB- ZKR202526SSOB01303
ZKR202526RFP0001

(मोहनलाल शर्मा, RRDS)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति मासलपुर